प्रारूप - 1.6

(13)

A 1.9.2

वन भूमि का लैन्ड शैड्यूल
प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

परियोजना का नामः- :- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लौक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (है0)
1	2	3	4	5	6
बागेश्वर	वन प्रभाग बागेश्वर	कपकोट	—	—	—

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

लैन्ड शैड्यूल
सिविल एवं सोयम/ वन पंचायत भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक/ गांव	खसरा सं0	कुल रकवा	याचित क्षेत्रफल (हे0)
बागेश्वर	कपकोट	कपकोट/दुदिला	6	143 नाली 8 मू0	2.800 है0
,,	,,	बवनी व.पं.	4	16 नाली -	0.350 ,,
सिविल सोयम/ वन पंचायत भूमि का कुल योग			10	159 नाली 8 मू0	3.150 है0

J.E.

पटवारी - फराड़ी

तहसीलदार

जिलाधिकारी
बागेश्वर

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)

A-1-9.3 (14)

खसरे की नकल

परियोजना का नाम:– :– जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिंग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ग्राम– दुदिला(पोथिंग) पटवारी क्षेत्र–कपकोट तहसील–कपकोट जिला– बागेश्वर

क्र0 सं0	खाता न0	नाम भूमिधर	खसरा न0	कुल रकवा	कटा रकवा	हैक्टेयर	
1	215	ब0का0आ0	13322	87 नाली 4 मू0	52 नाली	1.040	
2		"	13603	62 नाली 8मू0	51नाली	1.020	
3		"	13774	12 नाली 10 मू0	10नाली	0.200	
4		"	13137	28नाली	21नाली, 8मू0	0.400	
5		"	17264	11नाली, 12 मू0	5नाली	0.100	सि०
6		"	17266	8नाली	4नाली	0.080	2.800हे०
7		व.पं.- बवनी	17278	4नाली, 12मू0	3नाली 8मु	0.070	
8		"	17356	4नाली ,2 मू0	2नाली	0.40	
9		"	17354	7नाली, 6मू0	6नाली	0.120	व.पं.
10		"	17358	7नाली ,12 मू0	6नाली	0.120	0.350
		कुल भूमि योग	10 नं0		159 नाली 8मू0	3.150 है0	

कुल भूमि = सि०- 2.800+ व०पं० 0.350 हे० = 3.150 हे०

अमीन

क0 अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0,कपकोट

सहायक अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0,कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0,कपकोट

पटवारी क्षेत्र - कपकोट

तहसीलदार
कपकोट

उपजिलाधिकारी
कपकोट

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)

जिला अधिकारी
बागेश्वर

A.2.1

[illegible] जनपद [illegible] विधानसभा क्षेत्र [illegible] विकास खण्ड कपकोट [illegible] से [illegible] मिसिंग मोटर [illegible] के [illegible] हेतु [illegible] लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण [illegible]

जनपद बागेश्वर में विधानसभा कपकोट के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु शासनादेश सं0 7326/111(2)/10-18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010

यह मार्ग शासनादेश की प्रति पृष्ठ सं0........... में संलग्न है। इस मार्ग के निर्माण हो जाने से पोथिग, दुदिला एवं सुकुण्डा आदि गॉव लाभान्वित होगें। मार्ग का सर्वेक्षण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप अधिक से अधिक ग्रामों को जोड़ते हुए किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु मोटर मार्ग का होना अति आवश्यक है। यातायात न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। यहा की विषम भौगोलिक परिस्थतियों को देखते हुए मोटर मार्गो का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है। ताकि गावों से लोगों का पलायन रुके तथा गावों का समुचित विकास हो। यातायात व्यवस्था न होने के कारण यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। यातायात सुविधा मिलने पर क्षेत्रवासीयों को अपने कृषि फसल एंव मौसमी फलों एवं सब्जियों का उचित मूल्य मिल पायेगा।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में वन विभाग के 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र में लाल एवं हरे रंग से अलग-अलग दर्शाया गया है एवं डिजिटल व गुगल मैप भी संलग्न है।

<u>संरेखण संख्या 1</u> यह समरेखण मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में नापभूमि, वन पंचायत एवं सिविल भूमि आती हैं एवं वृक्ष भी कम प्रभावित होते हैं, तकनीकी दृष्टि से मानको के अनुसार कम लागत पर उचित ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस संरेखण में 2 एच0पी0बैन्ड पड़ते हैं। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी सहमत हैं।

~~संरेखण संख्या 2 यह समरेखण मानचित्र में हरे रंग से दर्शाया गया है, इस समरेखण का अधिकाश भाग कच्चे~~ से होकर जाता है तथा सिविल भूमि एवं वन पंचायत भूमि अधिक आती है एवं वृक्ष भी अधिक प्रभावित होते।इस संरेखण में 4 एच0पी0 बैन्ड पड़ते हैं। मोटर मार्ग निर्माण हेतु मानको के अनुसार ग्रेड नहीं मिलता है। स्थानीय जनता को इस समरेखन से कोई लाभ भी नहीं है।

निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से क्षेत्र के समग्र विकास एंव जनभावनाओं के अनुरुप उपयुक्त पाया गया है। मोटर मार्ग निर्माण में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 7 मीटर चौडाई ली गयी है पेड़ों की संख्या कम से कम आये इसके लिए पेड़ों की गणना भी 7 मीटर चौडाई में की गयी है तथा मार्ग का निर्माण भी 2 मीटर चौडाई में ही किया जायेगा।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं. 2 को निरस्त कर संरेखण नं. 1 को अनुमोदित किया गया है। 5.00 किमी0 लम्बाई हेतु 3.150 हैक्टर वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित् किया जा रहा है।

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट